THE CURRENTS

UPSC करेंट अफेयर्स · हिन्दी संस्करण · HINDI EDITION

2026-03-10

इस अंक में

#01 पश्चिम बंगाल में चुनावी मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या

#02 प्रधान मंत्री ₹10,800 करोड़ की परियोजनाओं का कोच्चि में शुभारंभ करेंगे

#03 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी, ट्रिब्यूनल सदस्यों की अवधि बढ़ाई

#04 इज़राइल-इरान संघर्ष: ट्रंप ने कहा जल्द ही युद्ध समाप्त हो जाएगा

#05 उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदुजा ग्रुप की कंपनी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विस्तार के लिए समझौता किया

राजनीति एवं शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · SCHEMES & INITIATIVES

#01

पश्चिम बंगाल में चुनावी मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में 60 लाख मामलों के निपटारे के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिससे चुनाव आयोग को स्थायी कर्मचारियों से लैस करने की आवश्यकता पर बहस छिड़ गई है। अंतिम सूची के प्रकाशन का भी इस मुद्दे से महत्वपूर्ण संबंध है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मामलों की पेंडेंसी को दूर करने और चुनावी प्रक्रिया की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए है। चुनाव आयोग की वर्तमान कर्मचारी संरचना पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें कुछ लोग तर्क देते हैं कि चुनावी विवादों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि

> *पश्चिम बंगाल में चुनावी मतदाता सूची विवाद का मुद्दा कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें चुनाव आयोग बड़ी संख्या में मामलों से निपटने में असमर्थ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विकास है, जो मामलों की पेंडेंसी को दूर करने और सुनिश्चित करने के लिए है कि चुनावी प्रक्रिया न्यायसंगत और पारदर्शी है। चुनाव आयोग की कर्मचारी संरचना पर बहस हुई है, जिसमें कुछ लोग तर्क देते हैं कि चुनावी विवादों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता है।*

मुख्य बिंदु

- **सुप्रीम कोर्ट — चुनावी मतदाता सूची विवाद:** न्यायिक अधिकारियों की तैनाती के लिए आदेश दिया।
- **चुनाव आयोग — कर्मचारी:** स्थायी कर्मचारियों से लैस करने के लिए तैयार।
- **पश्चिम बंगाल — लंबित मामले:** 60 लाख मामले निपटारे के लिए लंबित हैं।
- **सुप्रीम कोर्ट — अंतिम सूची का प्रकाशन:** चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू।
- **चुनाव आयोग — चुनावी प्रक्रिया:** न्यायसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए।

नीतिगत निहितार्थ

> *सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह मामलों की पेंडेंसी को दूर करने और सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रक्रिया न्यायसंगत और पारदर्शी है। चुनाव आयोग की कर्मचारी संरचना की समीक्षा की जाने की संभावना है, जिसमें चुनावी विवादों को संभालने के लिए स्थायी कर्मचारियों की ओर बढ़ने की संभावना है।*

The Hindu

राजनीति एवं शासन · कृषि एवं ग्रामीण विकास · SCHEMES & INITIATIVES

#02

प्रधान मंत्री ₹10,800 करोड़ की परियोजनाओं का कोच्चि में शुभारंभ करेंगे

प्रधान मंत्री कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन इकाई का शिलान्यास करेंगे, जो ₹10,800 करोड़ की परियोजना है। यह पहल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इस आयोजन में राज्य में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित 23 ग्रामीण सड़कों का भी उद्घाटन किया जाएगा। कोच्चि रिफाइनरी क्षेत्र के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए शुरू की गई थी।

पृष्ठभूमि

> *प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में जुड़े हुए बस्तियों को अच्छी मौसम की सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार और इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।*

मुख्य बिंदु

- **प्रधान मंत्री — पॉलीप्रोपाइलीन इकाई:** कोच्चि रिफाइनरी में शिलान्यास (₹10,800 करोड़).
- **प्रधान मंत्री — प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना:** राज्य में 23 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन।
- **सरकार — कोच्चि रिफाइनरी:** पॉलीप्रोपाइलीन इकाई के माध्यम से क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
- **सरकार — प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना:** देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की कनेक्टिविटी में सुधार।
- **प्रधान मंत्री — कोच्चि आयोजन:** ₹10,800 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ।

नीतिगत निहितार्थ

> *इन परियोजनाओं के शुभारंभ से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सुधारित कनेक्टिविटी ग्रामीण आबादी के लिए बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगी।*

The Hindu

राजनीति एवं शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · अर्थव्यवस्था

#03

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी, ट्रिब्यूनल सदस्यों की अवधि बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें ट्रिब्यूनल सदस्यों की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव था। यह निर्णय ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के तहत नियुक्त सदस्यों पर लागू होगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि के अनुसार, अगले सितंबर तक या तो बजट सत्र में या मानसून सत्र में एक नया कानून पारित किया जाएगा। लगभग 21 सदस्य नए कानून लागू होने से पहले सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस विस्तार का उद्देश्य नए कानून लागू होने तक निरंतरता सुनिश्चित करना है।

पृष्ठभूमि

> *ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 भारत में ट्रिब्यूनल प्रणाली को बदलने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य ट्रिब्यूनल के कामकाज को सुव्यवस्थित करना और उनकी स्वतंत्रता और कुशलता सुनिश्चित करना था। हालांकि, अधिनियम के कार्यान्वयन में धीमी गति रही है, और केंद्र इसके कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को हल करने का प्रयास कर रहा है।*

मुख्य बिंदु

- **सुप्रीम कोर्ट — ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021:** ट्रिब्यूनल सदस्यों की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- **केंद्र — प्रस्ताव:** नए कानून लागू होने तक ट्रिब्यूनल सदस्यों की अवधि बढ़ाई।
- **अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि — बयान:** अगले सितंबर तक नए कानून लागू होने की संभावना है।
- **ट्रिब्यूनल सदस्य — सेवानिवृत्ति:** लगभग 21 सदस्य नए कानून लागू होने से पहले सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
- **केंद्र — विधायिका:** ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को हल करने और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए।

नीतिगत निहितार्थ

> *ट्रिब्यूनल सदस्यों की अवधि बढ़ाने से नए कानून लागू होने तक ट्रिब्यूनल के कामकाज में निरंतरता सुनिश्चित होगी। नए कानून के लागू होने से ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को हल करने और अधिक कुशल और स्वतंत्र ट्रिब्यूनल प्रणाली प्रदान करने की उम्मीद है।*

The Hindu

राजनीति एवं शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · अर्थव्यवस्था

#04

इज़राइल-इरान संघर्ष: ट्रंप ने कहा जल्द ही युद्ध समाप्त हो जाएगा

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने संघर्ष को कम करके आंका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, बार-बार इसे 'अभियान' के रूप में वर्णित किया है, न कि युद्ध के रूप में। इज़राइल और इरान के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ट्रंप का बयान क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच आया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने संघर्ष को अनुमोदित नहीं किया है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी के बारे में सवाल उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति की करीब से निगरानी कर रहा है।

पृष्ठभूमि

> *इज़राइल और इरान के बीच संघर्ष का एक लंबा इतिहास है, जिसमें हाल के वर्षों में तनाव बढ़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र में शामिल है, जिसकी कार्रवाइयों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से करीब से निगरानी की जा रही है, विशेष रूप से 2017 में वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन के कार्यालय में आने से पहले। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस द्वारा संघर्ष को अनुमोदित नहीं किया जाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।*

मुख्य बिंदु

- **संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति — बयान:** कहा कि युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस — अनुमोदन:** संघर्ष को अनुमोदित नहीं किया है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति — विवरण:** बार-बार संघर्ष को 'अभियान' के रूप में वर्णित किया है, न कि युद्ध के रूप में।
- **अंतर्राष्ट्रीय समुदाय — प्रतिक्रिया:** स्थिति की करीब से निगरानी कर रहा है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका — भागीदारी:** संघर्ष में शामिल है, जिसकी कार्रवाइयों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे हैं।

नीतिगत निहितार्थ

> *संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान का क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, क्योंकि यह संघर्ष की दिशा को प्रभावित कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस द्वारा अनुमोदन नहीं होने से संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी के बारे में सवाल उठते हैं, जिसके दीर्घकालिक परिणाम क्षेत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के लिए हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्रवाइयों का मूल्यांकन किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है।*

The Hindu

#05

उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदुजा ग्रुप की कंपनी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विस्तार के लिए समझौता किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदुजा ग्रुप की कंपनी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विस्तार के लिए समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य राज्य के लगभग 3.5 लाख गांवों और 20,000 ग्राम पंचायतों में उच्च गति वाले इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। यह परियोजना अगले 2 वर्षों के भीतर ₹2,500 करोड़ की लागत से पूरी की जानी है। हिंदुजा ग्रुप की कंपनी राज्य भर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए जिम्मेदार होगी। इस परियोजना से राज्य के लगभग 16 करोड़ लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि

> *उत्तर प्रदेश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विस्तार राज्य सरकार के डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रयासों का हिस्सा है। यह परियोजना केंद्र के भारतनेट कार्यक्रम के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 2025 तक देश के सभी ग्राम पंचायतों में उच्च गति वाले इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है।*

मुख्य बिंदु

- **उत्तर प्रदेश सरकार — ब्रॉडबैंड विस्तार परियोजना:** हिंदुजा ग्रुप की कंपनी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विस्तार के लिए समझौता किया है।
- **हिंदुजा ग्रुप की कंपनी — ब्रॉडबैंड विस्तार परियोजना:** राज्य भर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए जिम्मेदार होगी और इसकी लागत ₹2,500 करोड़ होगी।
- **उत्तर प्रदेश सरकार — ब्रॉडबैंड विस्तार परियोजना:** लगभग 3.5 लाख गांवों और 20,000 ग्राम पंचायतों में उच्च गति वाले इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य है।
- **उत्तर प्रदेश सरकार — ब्रॉडबैंड विस्तार परियोजना:** राज्य के लगभग 16 करोड़ लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।
- **उत्तर प्रदेश सरकार — ब्रॉडबैंड विस्तार परियोजना:** अगले 2 वर्षों के भीतर पूरी की जानी है।

नीतिगत निहितार्थ

> *उत्तर प्रदेश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विस्तार के परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था और शिक्षा क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास के अवसर प्रदान करेगा।*

The Hindu

त्वरित प्रश्नोत्तर

1. किस मंत्रालय के तहत KSRTC कार्य करता है?

   उत्तर: **परिवहन मंत्रालय**

2. पंचायत चुनावों के संबंध में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है?

   उत्तर: **दो बच्चों के मानदंड को समाप्त करना**

3. किसने उच्च न्यायालय के कॉलेजियम से सर्वोच्च न्यायालय की महिला वकीलों को न्यायाधीश के रूप में विचार करने का आग्रह किया है?

   उत्तर: **सीजेआई**

4. किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास शुल्क को अस्वीकार करने की शक्ति है?

   उत्तर: **अनुच्छेद 207**

5. महिला आरक्षण कानून का मुख्य प्रावधान क्या है?

   उत्तर: **महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण**

6. किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय केंद्र को नीतियां बनाने का निर्देश देता है?

   उत्तर: **अनुच्छेद 142**

7. कोविड-19 टीकाकरण के बाद गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के लिए दोष-रहित मुआवजा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?

   उत्तर: **पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना**

8. चाय मजदूरों की वेतन वृद्धि की सूचना किस मंत्रालय के तहत दी जाती है?

   उत्तर: **श्रम मंत्रालय**

9. संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारa अस्वीकार किए गए शुल्क संबंधी विधेयक का मुख्य प्रावधान क्या है?

   उत्तर: **शुल्क का आरोपण**